



Email: cswriavikanagar@yahoo.com
nwrभाष : 01437-220177 फ़ैक्स नं. 91-01437-220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501



No.6(381)SP/2017/

Dated: -01-01-2020

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Annual Maintenance Contract work for Electricity (HT/LT Lines)** at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE AVIKANAGAR, MALPURA, DISTRICT TONK, RAJASTHAN-304501**. Manual bids shall not be entertained. Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP <https://eprocure.gov.in/> and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	F.No.6(381)SP/2017/
Date and Time for issue/Publishing	01-01-2020 at 3.00 PM
Document Download/Start date and time	02-01-2020 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	02-01-2020 at 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	24-01-2020 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	25-01-2020 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- Earnest money Rs.22000.00 Security money – 5 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer (Store & Purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan, Pin- 304501

Administrative Officer

Chapter I- Instruction to bidders

- 1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: <https://eprocure.gov.in>. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (<https://eprocure.gov.in>) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**
- 2- Tenders/bidders are requested to visit website <https://eprocure.gov.in> regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
- 3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
- 4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**
- 7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

- 1- Scanned copy of Firm Registration certificate
- 2- Scanned copy of Pan card
- 3- Scanned copy of GST registration. If not applicable an under taking in this regard should be given on 50/100 rupees stamp paper duly attasted by Notery Public.
- 4- Scanned copy of ESI and EPF Registration
- 5- Scanned copy of D.D. of Tender Fee
- 6- Scanned copy of D.D. of E.M.D.
- 7- Tender acceptance letter (Annexure I)
- 8- Scanned copy non blacklisting certificate (Annexure II)
- 9- Scanned copy of at least two year relevant work experience in any department of Institute/Agency or company
- 10- Scanned copy of licence issued by Central or State govt. regarding maintainece of 11000/415 Volt line related electric work.

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 10 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

Chapter II- Scope of Work

संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व संस्थान में स्थापित 12 नग पावर पैक्टर पैनल्स के रख-रखाव, इत्यादि से संबंधित कार्य को अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रैक्ट) के आधार पर करने के लिये कार्य विवरण:

- 1- **कार्य की प्रकृति :** यह विस्तृत अनुरक्षण ठेका परिसर में स्थित सभी नियमित स्थापित विद्युत व्यवस्था के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु आमंत्रित किया जाता है। ठेके की समायावधि के दौरान निम्न लिखित स्थापित विद्युत व्यवस्था को सही प्रकार से रखना आवश्यक होगा।
 1. संस्थान के सभी कार्यालय भवनों जैसे- प्रशासनिक भवन, एन.पी.बी. भवन, टी.एम.टी.सी. भवन, पुस्तकालय भवन, केन्टीन ब्लॉक, अभियांत्रिक इकाई, ऑडोटीोरियम, क्रीडा भवन, मेन गेट, के.बी. कॉम्प्लेक्स, पशु स्वास्थ्य विभाग, मांस विज्ञान, केन्द्रीय/राजकीय विद्यालयों, चिकित्सालय, समाज सदन, अतिथि-गृहों, शॉपिंग कम्प्लेक्स, सभी भेड़/बकरी/खरगोश सैक्टर, सभी पीने के पानी वाले एवं कृषि कार्य में प्रयोग पम्प हाऊसेज, सुरक्षा बिन्दु (घरेलू एवं नोन-घरेलू (N.D.S. & D.S.) आदि (लगभग 5000 बिन्दु) पर विद्युत की व्यवस्था को सुचारु बनाये रखना।
 2. संस्थान में स्थापित 12 नग पावर पैक्टर पैनल्स का रख-रखाव व व्यवस्थित रखने का कार्य।
 3. स्ट्रीट (सड़कों) लाईट जिसमें फ्लोरोसंट, एच.पी.एस.वी., एच.पी.एम.वी., एच.पी. एवं सी.फल.एल., लाईटें शामिल हैं (लगभग 250 बिन्दु) का रख-रखाव करना।
 4. लगभग 250 आवासीय मकानों की विद्युत रख-रखाव कार्य (लगभग 250 बिन्दु)।
 5. 25KVA से 160KVA तक क्षमता वाले बाहरी सब स्टेशन-कम-वितरण ट्रांसफार्मर्स, लगभग 11 KVA/415 वोल्ट्स वाले 12 स्टेशन (बाइन्डिंग संस्थान की होगी) का रख-रखाव करना।
 6. 11 KV 415 वोल्ट्स LT वाले लगभग 30 किलोमीटर लम्बाई वाली ओवर हैड लाईन का रख-रखाव करना।
 7. 5 HP Dia 2 INCH GI discharged क्षमता वाले लगभग 32 पम्प एवं 6 बूस्टर पम्प सेट्स के बिजली बोर्डों/पैनल का रख-रखाव।
 8. संस्थान में स्थित 380 केवीए के दो जेनेटर, 160 केवीए का एक जेनेटर तथा 12 केवीए के दो जेनेटर सेटों का प्रतिदिन रख-रखाव व संचालन करवाना होगा।
 9. संस्थान के विभिन्न विभागों में स्थापित यूपीएस और बैटरियों की जांच करना और वोल्टेज नापना होगा।
- 2- **कार्य क्षेत्र: वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार को शिकायत निवारण के अतिरिक्त निम्न लिखित अनुरक्षण /निर्धारित कार्य भी करने होंगे:**
 1. सभी LT पैनल्स का उचित रख-रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
 2. सभी मुख्य बोर्डों का उचित रख-रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
 3. सभी उप-मुख्य बोर्डों का उचित रख-रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
 4. सभी डीबी का उचित रख-रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
 4. अर्थ सेट्स की जांच करना (एक वर्ष में एकबार)।
 6. सभी मुख्य बोर्डों, उप मुख्य बोर्ड एवं डीपी में अर्थ निरन्तरता की जांच करना (एक वर्ष में एक बार)।
 7. पोल (खम्भों) की पुताई एवं चिन्हित करना (एक वर्ष में एक बार)।
 8. सभी प्रकार की फिटिंग की साफ-सफाई करना (एक वर्ष में ओसतन चार बार)।
 9. HT/LT ओवर हेड लाईट लाईन को कसना/सेग(sag)की जांच करना (एक वर्ष में एक बार)।
 10. HT/LT ओवर हेड इन्सूलेटर की जांच करना एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
 11. HT/LT की क्रास आर्म्स/स्ट्रटे आर्म्स इन्सपेक्शन एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
 12. ट्रांसफार्मर्स का ऑयल लीक, ऑयल की स्तर, कनेक्शन, साफ-सफाई, अर्थिंग आदि की जांच एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
 13. GOस्विच की जांच एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
 14. HT/LT जम्पर कनेक्शन का इन्सपेक्शन एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में एक बार)।
 15. संस्थान के कार्यालयों में स्थापित ए.ए.सी. व कूलर (लगभग 200 नग) की वर्ष में एक बार जांच (विद्युत सप्लाई) व साफ सफाई करनी होगी।
 16. संस्थान में स्थापित 12 नग पावर पैक्टर पैनल्स का नियमित रूप से रख-रखाव का कार्य करना होगा।
 17. अनुबन्ध कार्यों के अन्तर्गत उल्लेखित कार्यों की संख्या में 20-25 प्रतिशत अधिक भी हो सकती है।
- 3- उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान में नवनिर्मित भवनों का विद्युत रख-रखाव व रिपेयरिंग कार्य भी करना होगा।
- 4- संस्थान में खोदे गये ट्यूबवेलों 8 नग जो कि ई.टी.ओ 11 के पास, ई.टी.ओ.14 के पास, कोपरेटीव स्टॉर के पास, ई.टी.ओ 05 के पास नाले सैक्टर 13 के पास रोड पर, ई.टी.ओ. 14 के पास रोड पर, ब्लोक नं0 17 पर रोड किनारे और सेक्टर नं.9 के सामने वाली सड़क के पास स्थित है का विद्युत रिपेयरिंग रख-रखाव करना होगा।
- 5- पावर फेक्टर पैनल्स से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य करने होंगे-
 - (अ) संस्थान में स्थापित सभी पावर फेक्टर पैनल्स जो प्रत्येक ट्रांसफार्मर के साथ स्थापित है की प्रतिदिन पावर फेक्टर रीडिंग रजिस्टर में दर्ज करनी होगी व पैनलों की जांच करनी होगी।
 - (ब) सभी पावर फेक्टर पैनलों को 0.95 पावर फेक्टर पर व्यवस्थित रखना होगा।
 - (स) पावर फेक्टर पैनलों के बन्द होने व पावर फेक्टर रीडिंग के निर्धारित अंकों 0.90 में नहीं आने की तत्काल सूचना प्रभारी, विद्युत/प्रतिनिधि को अतिशिघ्र प्रेषित करनी होगी तथा अनुबन्धकर्ता को उसका रिपेयरिंग कार्य पूर्ण करके निवारण अतिशीघ्र करना होगा। कार्य में लगने वाले पावर फेक्टर पार्ट्स का खर्च संस्थान के द्वारा वहन किया जावेगा।

6- शिकायत निवारण :

- अ) सम्पूर्ण परिसर में आवश्यक विद्युत आपूर्ति बनाए रखने हेतु उपकेन्द्रों (Sub-stations), ओवर हेड लाईन्स, पम्पस आदि एवं विद्युत सम्बन्धी शिकायतों के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की होगी।
- ब) स्ट्रीट लाईट, कार्यालय भवनों एवं प्रयोगशालाओं में आवश्यक विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु एवं विद्युत संबंधी शिकायतों के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की होगी।
- स) आवासीय भवनों के विद्युत रख-रखाव एवं विद्युत संबंधी शिकायतों के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार प्रतिनिधि की होगी।
- द) ठेकेदार को एक बिन्दु अस्तित्व वाली लाईन के बारे में संस्थान के अभियांत्रिक प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।
- 7- उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त विद्युत अनुरक्षण एवं ब्रेक डाऊन/वर्तमान में स्थापित विद्युत व्यवस्था मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य सम्मिलित है।
- 8- उक्त अनुबन्ध में आंतरिक स्थापित विद्युत व्यवस्था की आवश्यकतानुसार सामान्य मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य सम्मिलित है।
- 9- रख-रखाव में फिटिंग एसेसरीज एवं फिक्चर्स को बदलना भी शामिल है। पंखों/फिटिंग्स/सब-स्टेशन एरिया की सफाई भी इस ठेके में शामिल है।
- 10- ठेकेदार द्वारा पानी के पम्पों, ट्रांसफार्मर्स, HT/LT स्विच गियर, HT/LT ओवर हेड लाईन्स, मैन बोर्ड, डीबी इत्यादि का सुरक्षात्मक रख-रखाव करना होगा।
- 11- ट्रांसफार्मर्स से वर्ष में एक बार आयल निकालना एवं अच्छा आयल डालने का कार्य भी ठेकेदार को करना होगा जिसके लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। आयल संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
- 12- आवश्यकता पड़ने पर पेड़ों की छाँटाई/ओवर हेड लाईन पर लटकने वाली टहनियों को हटाना भी इस ठेके के अन्तर्गत करना होगा।
- 13- यह कार्य भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये बिजली आपूर्ति अधिनियम/नियमों के अनुसार किया जावेगा।
- 14- ठेकेदार को संस्थान परिसर में प्रभारी विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग/प्रतिनिधि द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर विद्युत कार्य से सम्बन्धित शिकायत पंजिका/लॉग बुक रखनी होगी।
- 15- ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अलग से एक कार्य डायरी रखनी होगी जिसमें सम्बन्धित शिकायतकर्ता/प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग से कार्य संबंधी शिकायत दूर करने पर हस्ताक्षर करवाने होंगे।
- 16- अनुरक्षण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे- बल्ब, ट्यूब, स्टार्ट, एसेसरीज, तार, इन्सुलेटर सिवच इत्यादि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके उपभोग एवं भंडार को लौटाई गई खराब सामग्री का पूरा विवरण ठेकेदार को रखना होगा।
- 17- रख-रखाव हेतु सभी कार्य सामग्री (फ्यूज वायर, इन्सुलेशन टेप, स्क्रूज, टेप, सेंडल, लकड़ी की गट्टी, चैकनट्स, वाशर, सेन्ड, सीमेंट एवं टेस्ट लेम्प आदि को छोड़कर) संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी तथा जारी की गई सामग्री के प्रयोग में लेने एवं हिस्साब हेतु शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लेना आवश्यक होगा।
- 18- ठेकेदार को प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग द्वारा बताये गये कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय में पूर्ण करना होगा।
- 19- चूंकि संस्थान परिसर बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है अतः ठेकेदार/उनके प्रतिनिधियों को विद्युत सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण करने हेतु आने व जाने के लिये उचित परिवहन/साधन स्वयं ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा। संस्थान द्वारा कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।
- 20- ठेका समायाधि के दौरान जेवीवीएनएल से बिजली आपूर्ति बंद करने एवं पुनः आपूर्ति चालू करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। इसके लिये ठेकेदार को उचित अभिलेखन/रिकार्ड रखना होगा तथा ठेका समाप्त होने पर प्रभारी, उपकरण/विद्युत अनुभाग को सौंपना होगा।
- 21- शिकायत निवारण के समय खराब/टूटी/बेकार सामग्री होने पर ही बदली जावेगी तथा सामान को बदलने के उपरान्त शिकायतकर्ता से लगाये गये सामान की रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि खराब सामग्री उपलब्ध नहीं है इस स्थिति में प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग से खराब सामग्री उपलब्ध नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही बदली जायेगी।
- 22- ठेकेदार को अपने टूल्स एवं ट्रेकल्स जिसमें वर्किंग टूल्स, ओ एच लाईन पुलर, 30 फीट लम्बी सीढी, HT/LT प्रोटेक्शन गियर, काशॉन बोर्ड, लाईन अर्थिंग गीयर, मैगर्स, कन्टीन्यूटी चैकर्स, टार्च लाईट इत्यादि यह सभी ठेकेदार को रख-रखाव हेतु नियुक्त वायर मैन/लाईनमेन/इलेक्ट्रिशियन कार्यस्थल पर ही उपलब्ध कराना होगा जिसके लिए कुछ भी अतिरिक्त देय नहीं होगा।
- 23- संस्थान में स्थापित विद्युत इकाईयों को चालू/साफ एवं अच्छी स्थिति में रखने तथा धूल एवं कीड़ों आदि से बचाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 24- ठेकेदार को संस्थान परिसर में विद्युत आपूर्ति संबंधी अभिलेखन रखना होगा।
- 25- ठेकेदार द्वारा वार्षिक अनुरक्षण के लिए उनके प्रतिनिधियों आदि को वर्ष में एक बार वर्दी, जूते, नाम पट्टिका व अनुरक्षण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले टूल्स की किट प्रदान करनी होगी (टूल्स की सूची संलग्न है)।

कटौतियाँ :-

- 1- संस्थान परिसर में स्थित सभी भवनों में स्थापित विद्युत संबंधी सम्पत्ति की सूची विद्युत अनुभाग द्वारा ठेकेदार के हस्ताक्षर लेने के बाद दी जायेगी तथा वार्षिक अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार द्वारा सम्पत्ति की सूची विभाग को संभलवानी होगी। किसी भी प्रकार का नुकसान एवं कमी होने पर उसकी कीमत ठेकेदार से वसूली की जायेगी।
- 2- किसी भी शिकायत को बिना उचित कारणों के 24 घंटों के अन्दर दुरस्त नहीं करने पर प्रथम दो दिनों तक 100 रुपये प्रति शिकायत प्रति दिन के हिसाब से एवं दो दिनों के बाद 200 रुपये प्रति शिकायत प्रति दिन दण्डात्मक कटौती की जाएगी।
- 3- विद्युत इकाईयों में कोई भी खराबी आने पर उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग को देनी होगी। साथ ही खराबी को तुरन्त प्रभारी के निर्देशानुसार दुरस्त करना होगा। ऐसा नहीं करने पर ठेकेदार स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा तथा उस खराबी अपने स्तर एवं खर्च पर दूर करना होगा। ईकाई को गलत ढंग से चलाने के कारण खराबी आने पर ठेकेदार द्वारा उसे अपने स्तर एवं खर्च पर दूर करना होगा।
- 4- अनुबन्ध की शर्त संख्या 5 के अनुपालन में सभी 12 नग पावर फेक्टर पेनलों में पावर फेक्टर अगर 0.90 से नीचे आता है और संस्थान के सिंगल मीटर मासिक विद्युत बिल में पावर फेक्टर सरचार्ज की राशि आती है तो उस राशि का भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा संस्थान को करना होगा या अनुबन्धकर्ता के मासिक अनुबन्ध बिल में से कटौति की जावेगी।

Chapter III- General Terms & Conditions

अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तें:

- 1- अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 01 वर्ष के लिए होगी परन्तु सक्षम अधिकारी चाहे तो इसे कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तों पर एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- 2- ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 3- कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। साथ ही जो निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समझा जावेगा।
- 4- शिकायत निवारण हेतु कार्य स्थान तक सामान को लाने व ले जाने की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी प्रकार की परिवहन व्यवस्था/साधन उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।
- 5- ठेकेदार के पास भारत/राज्य सरकार से विद्युत संबंधी 11000/415 वोल्ट के रख-रखाव कार्य व विद्युत से सम्बन्धित सभी कार्य/रख-रखाव को करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लाईसेन्स होना आवश्यक है बिना लाइसेंस के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 6- ठेकेदार को 11000/415 वोल्ट के 1000 के.वी. व इससे अधिक लोड वाले संस्थान/ऐजेन्सी/कम्पनी में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- 7- अनुबंधकर्ता को इस निविदा में वर्णित सभी कार्यों को करने के लिये 24 घण्टे सेवार्थें देनी होंगी।
- 8- अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिकों के संबंध में निम्न बिन्दुओं की अनुपालना आवश्यक है—
 - (अ) श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये।
 - (ब) अनुबन्धकार्य की आवश्यकता के मध्यनजर कार्य निष्पादन हेतु पर्याप्त संख्या में आवश्यक श्रमिक लगाने होंगे।
- 9- ठेकेदार द्वारा बिना वैधानिक लाइसेंस वाले प्रतिनिधियों को विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु नहीं लगाया जाएगा। कार्य में लगने वाले श्रमिकों के पास संबंधित कार्य का मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत संबंधी कार्य करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे—आईटी0आई0 या संबंधित अन्य डिप्लोमा इत्यादि।
- 10- विद्युत इकाईयों के अनुरक्षण संबंधी बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा संतोषजनक कार्य करने पर प्रभारी अभियांत्रिक को प्रति माह बिल (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान मासिक आधार पर नियमित समय पर किया जाएगा।
- 11- ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार विवाद होने पर निदेशक, केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अदिकाणगर का निर्णय अंतिम होगा जिसे ठेकेदार द्वारा मान्य होगा। ठेकेदार द्वारा वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध को लेने से पूर्व इस पर अपनी सहमति देनी होगी।
- 12- अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
- 13- ठेकेदार द्वारा विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु किसी भी बाल श्रमिक को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।
- 14- ठेकेदार/प्रतिनिधि को प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग से सम्पर्क रखकर विद्युत रख-रखाव से संबंधित शिकायत दूर करने के लिए समन्वय, नियंत्रण एवं पारस्परिक सम्पर्क कराना होगा।
- 15- श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। EPF/ESI कार्मिकों के संबंधित विभाग के खाते में जमा करवाकर अगले माह के बिल के साथ चालान की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
- 16- कार्य अवधि में अनुबन्धकर्ता के श्रमिक/मशीन को किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा अनुबन्धकर्ता स्वयं पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा। साथ ही संस्थान द्वारा किसी प्रकार का क्लेम नहीं दिया जावेगा। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्य करवा लें।
- 17- संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जीएसटी/आयकर (GST/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जज राशि की भी कटौती की जावेगी।
- 18- ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
- 19- ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान-पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
- 20- अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्च पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।

- 21- आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
- 22- श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 23- सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अतिकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अतिकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
- 24- यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
- 25- संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
- 26- सफल ठेकेदार को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
- 27- संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

नोट - अनुबन्धकर्ता द्वारा विद्युत अनुरक्षण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित टूल्स की किट कार्मिकों को उपलब्ध करानी होगी।

क्र.सं.	औजार का नाम	संख्या
1.	हैण्ड गलबज	3
2.	प्लायर	6
3.	नोज प्लायर	6
4.	वायर कटर	6
5.	स्क्रू ड्राईवर बड़ा	6
6.	स्क्रू ड्राईवर सेट मय पोकर	6
7.	टार्च बड़ी	2
8.	टार्च छोटी	2
9.	एडजेस्टेबल बड़ा	2
10.	एडजेस्टेबल छोटा	6
11.	फिक्स स्पेनर सेट	3
12.	रिंग स्पेनर सेट	3
13.	मल्टी मीटर	2
14.	टेस्टर	6
15.	टेस्ट लैम्प	6
16.	हथोड़ी छोटी	3
17.	हथोड़ी बड़ी	3
18.	पीवीसी गिट्टी	समय - समय पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध करानी होगी।
19.	स्क्रू आल साईज	
20.	पीवीसी टेप	
21.	टूल्स बैग	6
22.	सीडियॉ छोटी	2
23.	सीडियॉ बड़ी	2
24.	ड्रेस	6
25.	पहचान पत्र	6
26.	जूते	6
27.	कुल्हाड़ी	2
28.	एल-की सेट	1

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

क्रमांक: 6(381)SP/2017

दिनांक: 01.01.2020

निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य की मात्रा
1.	संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व संस्थान में स्थापित 12 नग पावर पैक्टर पैनल्स का रख-रखाव से संबंधित कार्य को अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रैक्ट) के आधार पर करने के लिये कार्य	एक वर्ष

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यों का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर **संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व रख-रखाव से संबंधित कार्य को अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रैक्ट) के आधार पर करने के लिये कार्य** को अनुबन्ध/टेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रैक्ट/जॉब कोन्ट्रैक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय-समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूँगा तथा मैं प्रभारी, सम्पदा अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक-----

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

Annexure - II

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date :
Place :

Name :
Business Address :
Signature of Bidder :
Seal of the Bidder :

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला—टोंक (राजस्थान) — 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

No.6(381)SP/2017

Dated: -01-01-2020

वित्तीय निविदा

संस्थान में विद्युत संचालन एवं रख-रखाव संबंधी जॉब कॉन्ट्रैक्ट/अनुबन्ध की दरे निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	दर प्रति माह —रूपयों में
1.	संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व संस्थान में स्थापित 12 नग पावर पैक्टर पैनल्स का रख-रखाव से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध (जॉब कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर करने की दर	दर BOQ शीट में अलग से स्वीकार की जाएंगी।

हस्ताक्षर

फर्म का नाम मय पूर्ण पता

फोन नं०

मो० नं०.